

श्रीमान उपखण्ड शाहि
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail ☒ sdokot-kot-rj@nic.in ☒ 0744.232587

RCMS NO.- 2003/00077

मिसल नम्बर- 436/06

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार लाडपुरा कोटा।

.....वादी।

बनाम

1. सज्जन कंवर पुत्री देवी सिंह कौम राजपूत साकिन असरासर सुजानगढ जिला चुरू

.....प्रतिवादी।

—:निर्णय:—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

दिनांक 27/4/2026

वादी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि -जमाबंदी संवत् 2033-38 के अनुसार ग्राम सकतपुरा की आराजी खसरा संख्या 273/836 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा तथा खसरा संख्या 273/868/2 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा आराजी प्रतिवादी के खाते दर्ज रिकोर्ड थी। भू प्रबंध विभाग द्वारा उक्त आराजी के नये नं० 331 रकबा 0.75 है० तथा खसरा संख्या 336 रकबा 1.10 है० कुल किता 2 रकबा 1.85 है० बनाया गया।

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि मैट्रिक प्रणाली में गणना के अनुसार 9 बीघा 15 बिस्वा के 1.56 है० बनते हैं। भू प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट 0.29 है० रकबा अधिक दर्ज किया गया है। जिसे दर्ज करने का सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। उक्त आधार पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि वर्तमान खसरा संख्या 331 रकबा 0.75 है० में से 0.29 है० रकबा सिवायचक किस्म बरानी दोयम दर्ज किया जावे।

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी संवत् 2035-38 मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038-57 जमाबंदी संवत् 2038-57, जमाबंदी संवत् 2073-76 प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली के अवलोकन से प्रतिवादी द्वारा कोई प्रत्युतर प्रस्तुत किया जाना प्रमाणित नहीं होता। तहसीलदार लाडपुरा से पुनः रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार लाडपुरा की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में उपरोक्त खसरा संख्या नगर विकास न्या स कोटा के नाम दर्ज रिकोर्ड है। मौके पर भूमि खाली पड़ी हुई है। तथा थर्मल के परिसर में आ रही है।

बहस एकपक्षिय सुनी गई।



उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail ✉ sdokot-kot-rj@nic.in ☎ 0744.232587

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया । तथा बहस पर गंभीरतपूर्वक मनन किया ।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में भूमि तथा आबादी भूमि को स्पष्टतया परिभाषित किया गया है –

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अध्याय 1 में भूमि को परिभाषित किया गया है इसके अनुसार भूमि से तात्पर्य ऐसी भूमि से होगा जो कृषि संबंधी कार्यों या तदधीन ऐसे अन्य कार्यों अथवा उपवन अथवा चारागाह हेतु पट्टे पर दी जाये या धारित की जाये एवं उसमें भूमि क्षेत्र बनाये गये भवनों या बाड़ों की भूमि उस पानी से ढकी हुई भूमि शामिल होगी जो सिंचाई सिंघाडा अथवा तत्समान अन्य किसी उपज को उगाने हेतु काम में ली जा सके । किन्तु उसमें आबादी भूमि शामिल नहीं होगी । उसमें भूमि से संलग्न किसी भी चीज से स्थाई रूप से संबंधित वस्तुओं से होने वाले फायदे शामिल माने जायेंगे ।

भू राजस्व अधिनियम की धारा 103 में भूमि और आबादी भूमि को परिभाषित किया गया है । इसके अनुसार आबादी भूमि को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है— “आबादी या आबादी क्षेत्र या आबादी भूमि से किसी गांव कस्बे या नगर का आबादी क्षेत्र अभिप्रेत है और इसमें ऐसे गांव नगर या कस्बे का स्थल उसमें आबादी विकास के लिए धारा 92 के अधीन आरक्षित और अलग रखी गई भूमि और उसमें भवन निर्माण के प्रयोजनार्थ धारित भूमि चाहे उस पर किसी भवन का संनिर्माण किया गया हो अथवा नहीं ।”

भूमि तथा आबादी भूमि पर सुनवाई की अधिकारिता के संबंध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्पष्ट अभिमत निर्धारित किये गये हैं—

गोपाल बनाम दुर्गाप्रसाद सन् 1975 आरआरडी 191 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था कि —“ यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं होगा क्या वाद भूमि आबादी वाली भूमि है, ऐसे मामलों में जहां यह स्वीकार किया जाता है कि विचाराधीन भूमि शहर के आबादी वाले क्षेत्र में है, और इस प्रकार इसे आबादी वाले क्षेत्र का ही एक हिस्सा माना जाना चाहिए ।”

बरजी बनाम ठाकुर जी श्री द्वारकाधीश जी में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि “राजस्व कोर्ट आबादी भूमि से संबंधित स्वामित्व मामलों का निर्णय नहीं कर सकते ।”

अमर सिंह बनाम स्टैट ऑफ राजस्थान व अन्य में राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्थापित किया गया है कि जब भूमि गैर मुमकिन आबादी दर्ज हो तो दीवानी अदालत को ही मुकदमा चलाने का क्षेत्राधिकार है

जगदीश बनाम दिनेश शर्मा (2023) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया है कि यदि जमीन आबादी घोषित है तो सिविल कोर्ट ही मामला सुन सकती है ।



3
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail ✉ sdokot-kot-rj@nic.in ☎ 0744.232587

तहसीलदार रिपोर्ट से यह प्रमाणित है कि प्रश्नगत आराजी वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तथा कोटा थर्मल पावर प्लांट के परिसर में आ रही है। उक्त परिस्थिति में हस्तगत आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में यथा परिभाषित भूमि व आबादी भूमि के अनुसार कृषि आराजी की श्रेणी में ना आकर आबादी भूमि की श्रेणी में आती है। विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में वर्तमान स्थिति में आबादी भूमि होने के कारण हस्तगत प्रकरण को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय में निहित नहीं है।

उक्त परिस्थिति में प्रकरण प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा को इस निर्देश के प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण की पुनः जांच करे और यदि आवश्यक हो तो सक्षम न्यायालय में राहत प्राप्त करने हेतु चाराजौरी करे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, कोटा
उपखण्ड अधिकारी
कोटा